

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2018

विषय :- मसूरी सीवरेज योजनान्तर्गत सड़क/मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 587/नगरीय अनु0 जलोत्सारण/38 दिनांक 15.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मसूरी सीवरेज योजनान्तर्गत सड़क/मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 1608.87 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु ₹ 1361.24 लाख (₹ तेरह करोड़ इक्कसठ लाख चौबीस हजार मात्र) औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गईं हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।
- (vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगम नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (xi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति- 03-नगरीय पेयजल-01-नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

3- धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1806130496 दिनांक 11.06.2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 68/XXVII(2)/2018 दिनांक 07 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)  
संयुक्त सचिव।

पू0सं0 /478 . (1)/उन्तीस(2)/18-2(233पे0)/2016 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)  
संयुक्त सचिव।